

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिमरिया।

दाखिल-खारिज वाद संख्या-08/2017-18

प्रथम पक्ष:- शिवप्रसाद नौनिया, ग्राम-चुरी पूर्वी, थाना-खलारी, जिला-रांची।
बनाम

द्वितीय पक्ष:- अंचल अधिकारी, टण्डवा, जिला-चतरा।

2

आदेश

इस दाखिल-खारिज अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता शिवप्रसाद नौनिया, पिता-स्व० बालकेश्वर प्रसाद नौनिया, ग्राम-चुरी पूर्वी, थाना-खलारी, जिला-चतरा के दाखिल-खारिज अपील अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया। यह अपील वाद अपीलकर्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विरुद्ध लाया गया है। दाखिल-खारिज अपील वाद से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा का नाम	खाता नं०	प्लॉट संख्या	रकबा
देवलगडा	27	238, 249, 240, 241	3.68 एकड़

इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष ने लिखित कारण-पृच्छा के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रश्नगत भू-खण्ड अपीलकर्ता को केवाला से प्राप्त है, जिसका केवाला संख्या-2516, दिनांक-03.05.1994 द्वारा रकबा-1.84 एकड़ एवं केवाला संख्या-2517, दिनांक-03.05.1994 द्वारा रकबा-1.84 एकड़, कुल रकबा-3.68 एकड़ भूमि है। यह कि यह केवाला जगदेव साव, पिता-स्व० गोविन्द साव, साकिन-कुण्डी, थाना-टण्डवा से हासिल है। यह कि जगदेव साव, पिता-स्व० गोविन्द साव को यह भूमि हुकुमनामा से हासिल है। प्रश्नगत भू-खण्ड प्राप्त होने के बाद इन्होंने नामान्तरण हेतु अंचल कार्यालय, टण्डवा में आवेदन दिया, जिसे अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा वाद संख्या-304/2011-12 एवं 305/2011-12 के द्वारा नामान्तरण अस्वीकृत कर दिया गया।

वाद की सुनवाई के दौरान प्रश्नगत भू-खण्ड से संबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, टण्डवा से मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, टण्डवा का पत्रांक-644, दिनांक-15.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें उन्होंने यह प्रतिवेदित किया है कि उक्त भू-खण्ड का दाखिल-खारिज वाद संख्या-304/2011-12 एवं 305/2011-12 में अस्वीकृत किया गया है। साथ ही साथ यह भी प्रतिवेदित है कि विक्रेता का पंजी-2 में जमाबन्दी कायम नहीं है तथा दखल-कब्जा भी नहीं है। विदित हो कि भूमि का किस्म गैरमजरुआ खास होने से यह मामला संदेहास्पद की श्रेणी में है।

अतः वर्णित स्थिति में दाखिल-खारिज अपील वाद को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वाद की अग्रोत्तर कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सिमरिया।